आभार

शोध कार्य को पूर्ण करने की क्रिया बहुत कठिन और श्रमसाध्य होती है। शोध कार्य अकेले पूरा करना असंभव सा लगता है। एक निश्चित समय सीमा में शोध कार्य को पूर्ण करना मेरे लिए कदाचित संभव न होता यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों का सहयोग न मिला होता। इन सभी लोगों की मैं आभारी हूँ।

मैं महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे शोध कार्य का सुअवसर प्रदान किया।

मैं अपने शोध निर्देशिका प्रो. वासंती रमन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस विषय पर शोध कार्य के दौरान मेरा मार्गदर्शन एंव उत्साहवर्धन कर शोध कार्य को पूर्ण करवाया।

मैं मानव विज्ञान के सहायक प्रो. प्रशांत खत्री सर के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने न केवल विषय चयन एंव लघु शोध प्रबंध लेखन के दौरान मेरा उत्साहवर्धन एंव स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन तथा आर्शीवाद प्रदान किया बल्कि इस कार्य को पूर्ण करने में वांछित स्वतन्त्रता भी प्रदान की जिससे ये शोध कार्य पूर्णता को प्राप्त कर पायी।

मैं मम्मी कुसुम पापा जी रामपाल बाबा जी अभय पाल, दीदी रूचि, पारूल, जीजा जी डॉ. योगेश एंव निशू, भाई आशू एंव नन्हें भानजी भानजे अंश, गर्वित और किंजल एंव समस्त परिवारगणों को धन्यवाद देती हूँ जिनके पूर्ण सहयोग से मैं अपना शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ।

मैं अपने मित्रों, सहपाठियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सुझाव एंव सहयोग ने शोध कार्य को पूर्णता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भूमिका

भारत में पंचायती राज लगभग उतना ही पुराना है जितना स्वयं भारत। लेकिन आज हमारे गाँव – गाँव में पंचायते है, वे एक अलग और सर्वथा नयी कहानी है। ग्राम, ब्लॉक और जिला इन तीन स्तरों पर देश भर में फ़ैली हुई एन पंचायतों की स्वतंत्र संवैधानिक सत्ता हैं।

प्रस्तुत लघु शोध में पंचायतों के सामने क्या – क्या चुनौतियां हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन सभी स्थितियों का वर्णन किया गया हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से महिलाओं को समान अधिकार एंव संरक्षित विभेदीकरण के तहत विशेष अधिकार हैं किंतु व्यवाहरिक स्तर पर छह दशक बिताने के पश्चात भी प्रजातांत्रिक राजनीति गंभीरता से महिलाओं को राजनीतिक निर्णय निर्माण में सहभागिता प्रदान करने को तैयार नहीं है। एक बुनियादी लोकतांत्रिक मानक के रूप में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न महिलाओं के मूल अधिकारों का प्रश्न है। यह मात्र संवैधानिक संरक्षण ही नहीं, प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता का भी प्रश्न है। उल्लेखनीय है की 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं को स्थानीय ग्रामीण राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था में 33.33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया हैं और पिछले चार चुनावों में (1995, 2000, 2005,2010) में महिलाओं ने राजनीति में उल्लेखनीय भूमिका भी निभायी हैं।

प्रस्तुत लघु शोध को मैंने पाँच अध्याय में विभाजित किया हैं-

❖ पहला अध्याय परिचयात्मक है। इस अध्याय में प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की पंचायतीराज व्यवस्था और विभिन्न समितियों का अध्ययन किया गया हैं।

❖ दूसरे अध्याय में पंचायती राज व्यवस्था के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम और महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका हैं, इन सभी पक्षों का अध्ययन किया गया हैं।

❖ तीसरे अध्याय में अध्ययन क्षेत्र और शोध प्रविधि का स्पष्टीकरण किया गया हैं।

❖ चौथे अध्याय में शोध क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का प्रवेश और महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका का अध्ययन किया गया हैं।

❖ पांचवा अध्याय में शोध का निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण है।